

राजस्थान अल्पसंख्यक नागरिकता शिविर

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिये विशेष शिविर आयोजित करने जा रही है।

मुख्य बंदि

- अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के नयिम तथा प्रक्रियाएँ सरल कर दी गई हैं। अब ज़िला कलेक्टरों को नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।
- सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2016 से 2024 तक राज्य में **2,329 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है।**
- वर्तमान में कुल **1,566 आवेदन लंबति हैं।** इनमें से 300 मामलों में आसूचना ब्यूरो (इंटेल्जिंस ब्यूरो) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करना है।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment ACT- CAA) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से **31 दिसंबर, 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले छह गैर-मुसलमि समुदायों (**हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई**) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है।
- यह वधियक **छह समुदायों** के सदस्यों को वदिशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत कसिी भी आपराधकि मामले से छूट देता है।
 - दोनों अधिनियमों में देश में अवैध रूप से प्रवेश करने तथा समाप्त हो चुके वीज़ा और परमटि पर यहाँ रहने के लयि दंड का प्रावधान कयिा गया है।